

न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेंट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र भट्ट (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 45/2019 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री गौरव आचार्य पिता देवकिशन बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड
आचार्य निवासी 3 एच , 13,14 आर. अधिकारी कोटडी
सी. व्यास कॉलोनी, भीलवाडा

—अपीलार्थी

—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :- अपीलार्थी उपस्थित नहीं
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : 24.06.2019

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी कोटडी के विरुद्ध दिनांक 21.05.2019 को जरिये डाक प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर नं0 40 एफ 930446 राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन दिनांक 20.04.2019 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी कोटडी को प्रस्तुत किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 20.04.2019 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 30.05.2019 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किया गया तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी कोटडी के पत्रांक/2019/771 दिनांक 20.06.2019 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी द्वारा क्रमांक/सू.अ./2019/625 दिनांक 21.05.2019 से सूचना अपीलार्थी को प्रेषित की जा चुकी है।

अतएव अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा सूचना प्रेषित कर दी जाने से प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 24.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।



(Handwritten signature)
(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेंट अधिकारी
भीलवाड़ा